न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2018 अपील

श्री नानूराम पुत्र भागू बनाम भील निवासी हदवों का खेडा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा	1. श्री बाबू पुत्र उदा भील निवासी भीलों की झोंपडिया , आसीन्द तहसील आसीन्द 2. श्रीमती फेफी बेवा उदा भील निवासी भीलों की झोंपडिया, आसीन्द तहसील आसीन्द – **डिलीट** 3. श्री तुलसीराम पुत्र भोलाराम भील निवासी भीलों की झोंपडिया, आसीन्द तहसील आसीन्द 4. तहसीलदार आसीन्द
–अपीलार्थी	–रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार आसीन्द नामान्तरकरण सं. 2320 दिनांक 23.11.2011 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

श्री के.जी.शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री रामस्वरूप शर्मा अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.10.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार आसीन्द नामान्तरकरण सं0 2320 दिनांक 23.11.2011 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने दिनांक 04.11.2008 को 70000/–रूपये में खाता सं. 518 आराजी नम्बर 2533,2538,2848,2849,2850,2851,3537,3538 किता 08 रकबा 1.54 हैक्ट. का 1/4 हिस्सा खरीद किया और कब्जा प्राप्त कर लिया। राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने हेतु वक्त पंजीयन से व पंजीयन दस्तावेज की एक प्रति पटवार हल्का आसीन्द को दे दी। पटवार हल्का आसीन्द ने अपने दायित्व का निर्वाह नही किया और इसी दौरान पूर्व खातेदार रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 ने अपने खाता सं. 472 किता 18 रकबा 3.20 हैक्ट. का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेण्ट सं. 03 के हक मे पुनः 4,90,000/–रूपये में दिनांक 05.08.2011 को बैचान कर दिया। जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 ने पूर्व में अपने उक्त खाते मे से 1/4 हिस्से से 0.38 हैक्ट. भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में बैचान कर रखी है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा लगातार चला आ रहा है। इस तरह रेस्पोडेण्टगण ने जानबूझकर बैचे हुए हिस्से के रकबे में से पुनः बैचान कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली जो विधि विरूद्व होने से नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 10.09.2012 को नकल प्राप्त करने पर हुयी। तारीख जानकारी से यह अपील अन्दर अवधि पेश है। धारा 5 मियाद कानून का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.2011 नामान्तरकरण सं. 2320

ग्राम आसीन्द को निरस्त कराया जाकर पुनः विधिवत सुनवाई कर अपीलाण्ट के पक्ष में नया इन्तकाल दर्ज कर फैसल किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आसीन्द को प्रस्तुत की गयी। जिसमें प्रकरण सं. 10/12 से दर्ज किया जाकर क्षैत्राधिकार उक्त न्यायालय का नही होने से उपखण्ड अधिकारी आसीन्द द्वारा दिनांक 24.04.2017 को प्रकरण इस न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। प्रस्तुत अपील प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 22.01.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 16.09.2019 को जवाब पेश किया गया।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने दिनांक 04.11.2008 को 70000/—रूपये में खाता सं. 518 आराजी नम्बर 2533,2538,2848,2849,2850,2851,3537,3538 किता 08 रकबा 1.54 हैक्ट. का 1/4 हिस्सा खरीद किया और कब्जा प्राप्त कर लिया। राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट का नाम दर्ज करने हेतु वक्त पंजीयन से व पंजीयन दस्तावेज की एक प्रति पटवार हल्का आसीन्द को दे दी। पटवार हल्का आसीन्द ने अपने दायित्व का निर्वाह नही किया और इसी दौरान पूर्व खातेदार रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 ने अपने खाता सं. 472 किता 18 रकबा 3.20 हैक्ट. का 1/4 हिस्सा रेस्पोडेण्ट सं. 03 के हक मे पुनः 4,90,000/—रूपये में दिनांक 05.08.2011 को बैचान कर दिया। जबकि रेस्पोडेण्ट सं. 01 व 02 ने पूर्व में अपने उक्त खाते मे से 1/4 हिस्से से 0.38 हैक्ट. भूमि अपीलाण्ट के पक्ष में बैचान कर रखी है जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा लगातार चला आ रहा है। इस तरह रेस्पोडेण्टगण ने जानबूझकर बैचे हुए हिस्से के रकबे में से पुनः बैचान कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली जो विधि विरूद्व होने से नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.11.2011 नामान्तरकरण सं. 2320 ग्राम आसीन्द को निरस्त कराया जावे।

रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार आसीन्द द्वारा नामान्तरकरण सं. 2320 दिनांक 23.11.2011 विक्रय पत्र पंजीयन कमांक 2011001551 दिनांक 05.08.2011 के अनुसार स्वीकार किया गया जो सही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तथ्यों का भलीभांति परीक्षण किया गया। रेस्पोडेण्ट सं. 04 तहसीलदार आसीन्द की रिपोर्ट अनुसार "ग्राम आसीन्द के खातेदारी आराजी नं. 2533, 2538, 2848, 2849, 2850 2851, 3537, 3538 कुल किता 8 रकबा 1.54 हैक्ट. भूमि का

पिता उदा मु. फेफी बेवा उदा 1/4 सा. देह श्रवणलाल पिता बगतावर 1/4 सा. देवरिया कला (अजमेर) मांगीलाल पिता प्रताप 1/8 सा. अजीतपुरा बक्षु शंभू, काना पिता बालू 1/8 बरदी पुत्री धन्ना 1/4 भील सा. देह के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है।

मुताबिक खत रजिस्टर्ड से उक्त आराजी में बाबू पिता उदा फेफी बेवा उदा भील 1/4 हिस्सा का विक्रय होकर नानूराम पिता भागू भील के नाम दिनांक 04.11.2008 को विक्रय किया गया। उक्त विक्रय पत्र का खरीददार के नाम पर विक्रयसुदा भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ।

खातेदारान् द्वारा उक्त आराजियात के साथ अन्य खाते की आराजियात को मिलाते हुए एक विक्रय पत्र रजिस्टर्ड बाबू पिता उदा फेफी पत्नी उदा 1/4 भील द्वारा तुलसीराम पिता भोलाराम भील के नाम करवा दिया गया जिसका नामान्तरकरण 2320 दिनांक 23.11.2011 को राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गया।

उक्त वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द का स्थगन दर्ज रिकार्ड होना अंकित किया हैं।"

अपीलाण्ट ने पंजीयन विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश नही की है एवं न ही उक्त आराजी पर कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश किये हैं। अपीलाण्ट द्वारा पंजीयन दस्तावेज की प्रति पटवार हल्का को दिये जाने संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये हैं। अपीलाण्ट को विक्रय पंजीयन दिनांक 05.08.2011 के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिये। तहसीलदार आसीन्द ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द का स्थगन दर्ज रिकार्ड हैं, इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में प्रकरण विचाराधीन होने से प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार का आदेश जारी किया जाना न्याय संगत नहीं हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत वादग्रस्त आराजियात के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आसीन्द में प्रकरण विचाराधीन होने से अपीलाण्ट की अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ भेजा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा